कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

पत्रांक 919 मेमो /वन भूमि   अल्मोड़ा दिनांक 14 अक्टूबर 2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषयः **जनपद बागेश्वर के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के कि0मी0 171.00 से 206.00 (बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला) दो लेन में चौड़ीकरण हेतु 18.405 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग खण्उ, लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/151120/2022**

संदर्भः **अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालौनी, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 2789/FP/UK/ROAD/151120/2022 देहरादून 21 मई 2022**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा इंगित की गयी कमियों का निराकरण निम्नवत हैः–

क्रम सं0	आपत्ति	निराकरण
1	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव को परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने हेतु श्री महेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियंता को अधिकृत किया गया है, इसके अतिरिक्त ऑनलाईन अपलोड प्रमाण पत्र में उक्त हेतु श्री दीपक कुमार जोशी, सहायक अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, रानीखेत को भी अधिकृत किया गयाह है। कृपया स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें।	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव को परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने हेतु श्री महेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियंता को अधिकृत किया गया है। प्रमाण पत्र ऑनलाईन पोर्टल पार्ट–। के पैरा A-3(Xvii) में अपलोड कर लिया गया है(प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न)
2	वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित Village Level Committee में प्रत्येक ग्राम के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित Village Level Committee में प्रत्येक ग्राम के अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑनलाईन पोर्टल के पार्ट । में के0 सैक्शन पर अपलोड कर लिये गये हैं।(प्रपत्र संलग्न)
3	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले ऑनलाईन पार्ट–।।, Para-5 में Working Plan की सूचना नहीं भरी है। उक्त सूचना यथास्थान अपलोड करने का कष्ट करें।	यह बिन्दु लो0नि0वि0 से सम्बन्धित नहीं है।
4	प्रस्ताव के ऑनलाईन पार्ट–। के पैरा.L में क्षतिपूरक की सूचना अपलोड नहीं की गयी है। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले पार्ट–।। के पैरा–13 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 18.405 है0 समतुल्य क्षेत्र में किया गया है, जबकि भारत सरकार की **Handbook Guideline** के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रभावित क्षेत्र के दुगने अवनत क्षेत्र में किया जाना आवश्यक है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण दुगने वन भूमि में करते हुये सम्बन्धित	क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना दूगने क्षेत्रफल (36.810 है0) पर तैयार कर पार्ट । के एल0 सैक्शन में अपलोड कर ली गयी है।

	खतिपूरक वृक्षारोपण योजना, क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल के मानचित्र, के0एम0एल0 फाईल, जी0पी0एस0 कोआर्डिनेट की सूचना ऑनलाईन पार्ट–। एवं पार्ट–।। में अपलोड करते हुये हार्ड प्रति में भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का का कष्ट करें।	
5	प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित होने वाले वृक्षों के प्रमाण पत्र में वन भूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या–5981 अंकित की गयी है, जबकि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले पार्ट–।। में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या–5432 अपलोड की गयी है। कृपया प्रभावित वृक्षों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें।	प्रस्तावित परियोजना में वन भूमि में 5981 वृक्ष एवं नाप भूमि में 534 वृक्ष इस प्रकार कुल 6515 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। शेष सूचना आपके स्तर से भरी जानी है।
6	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की DSS रिपोर्ट भी प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	यह बिन्दु लो0नि0वि0 से सम्बन्धित नहीं है।

अतः अनुरोध है कि विषयगत मोटर मार्ग में सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु अपने स्तर से अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार 5–5 प्रतियों में।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।

पत्रांक /वन भूमि तद्दिनॉकित

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– मुख्य अभियंता–क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, 46/1 कैनाल रोड जाखन देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– मुख्य अभियंता रा0मा0 लो0नि0वि0 देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– अधीक्षण अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग वृत्त, लो0नि0वि0, हल्द्वानी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– सहायक अभियन्ता(तृतीय), राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।